Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 04/2017

Anirudh Mandal ..... Appellant.

Versus

Prakash Rishi & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–04/2016–17 में दिनांक–06.10.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी अनुपस्थित। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–भंदसार, थाना–भवानीपुर, खाता सं0–04, खेसरा सं0–04, रकवा–34डी0, खेसरा सं0–05, रकवा–30 डी0, कुल–64डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0–2486 दिनांक–25.04.1962 द्वारा क्रय करते हुए दखलकार होकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। निम्न न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा वाद दायर किया गया था जिसमें इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी खतियानी रैयत सुकदेव मंडल से क्रय करते हुए दखलकार हैं। इनके विक्रेता भी सर्वे के पूर्व से उक्त भूमि पर दखलकार रहे थे। निम्न न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है। उत्तरवादी द्वारा जाली लालकार्ड एवं दर्ज जमाबंदी के आधार पर गलत दावा किया जा रहा है जबकि उक्त भूमि की जमाबंदी अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज है और वर्ष 1996–97 तक भू–लगान भुगतान है। अंचलाधिकारी, भवानीपुर द्वारा सिलिंग अधिनियम की धारा–5(1) के अंतर्गत इन्हें कभी भी कोई सूचना नहीं दी गई। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–09.01.2019 के आवेदन समर्पित करते हुए सूचित किया गया है कि सुरेश ऋषि, पिता–स्व0 शनिचर ऋषि की मृत्यु दिनांक–30.10.2016 को ही हो चुकी थी और प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध दायर किया गया है जो पोषणीय नहीं है।	

Web Copy, Not Official.

		पक्षकारों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा एवं इस न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा ना तो क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	सुनवाई में हिस्सा लिया गया और ना ही उत्तरवादी द्वारा कोई प्रत्युत्तर हीं दाखिल किया गया है। उत्तरवादी द्वारा मात्र इतना कह देना कि सुरेश ऋषि (निम्न न्यायालय के वादी) की मृत्यु दिनांक–30.10.2016 को हो चुकी थी और इस आधार पर मृत व्यक्ति के विरूद्ध दायर अपील को पोषणीय नहीं बताया गया है। जबकि दिनांक–08.03.2017 को मृत उत्तरवादी सं0–01 सुरेश ऋषि की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ उनके दो पुत्रों प्रकाश ऋषि एवं विकास ऋषि की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया है। दिनांक–22.11.2018 के आदेशानुसार मृत उत्तरवादी के वारिशानों को प्रतिस्थापित भी किया जा चुका है। इस प्रकार उत्तरवादी का यह तथ्य निराधार है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्राप्त विक्रय संलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है जबकि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी के पिता सुरेश ऋषि द्वारा वाद दायर करते हुए बंदोबस्ती के आधार पर दावा किया गया था। निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी को बंदोबस्ती वाद सं0–06/1988–89 द्वारा प्राप्त बंदोबस्ती के आधार पर उनके पक्ष में आदेश पारित किया है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा विक्रय संलेख की छायाप्रति समर्पित की गई है, तथापि उत्तरवादी द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत मामले में आवश्यक पक्षकार के रूप में राज्य सरकार एवं अन्य संबंधित सभी पक्षों के साथ बंदोबस्ती संबंधी तथ्यात्मक प्रतिवेदन संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त कर सुनवाई करते हुए तीन माह के अंदर मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.